संख्या-44/भा0स0 3/84-2-2014-34(विविध)/2006

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

(2) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।

(3) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0प्र0,
7, वाला कदर रोड, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 03 फरवरी, 2014

विषय भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित "राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति" पर टिप्पणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-23(41)/2004-पीयूबी, दिनांक 06 जनवरी, 2014 की अनुलग्नकों सहित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये "राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति" के ड्राफ्ट पर अपनी टिप्पणी शासन को सी0डी0 सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in